रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2013/श्रावण 16, 1935

No. 397] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2013/SRAVANA 16, 1935

IndiaCode

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2013

सा.का.नि. 535(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण)(दूसरा संशोधन) नियम, 2013 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,-

(क) क्रम संख्यांक "88. क्रियान्वयन अनुसूची सहित पेट्रोल और मिट्टी के तेल से चलने वाले नए जनरेटर सेट (19 किलोवाट तक) के लिए उत्सर्जन मानक" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात्:-

" 88. पेट्रोल और मिट्टी के तेल से चलने वाले जनरेटर सेट"

अ. उत्सर्जक मानक पेट्रोल और मिट्टी के तेल के जनरेटर सेटों के लिए उत्सर्जन मानक निम्नलिखित रूप में होंगे:-

वर्ग	विस्थापन (घन से.मी.)	कार्बन मोनोक्साइड (ग्राम/किलोवाट- घंटा)	$HC+NO_x$ (ग्राम/किलोवाट- घंटा)
1	99 तक	≤250	≤12

2	99 से 225 तक	≤250	≤10
3	>225	≤250	≤8

(i) परीक्षण पद्धति एसएई जे 1088 में यथा विनिर्दिष्ट (100 प्रतिशत भार के लिए 0.3, 75 प्रतिशत भार के लिए 0.5 और 50 प्रतिशत भार के लिए 0.2 का भार गुणक) होगी और मापन आईएसओ 8178: भाग 4 के अधीन विनिर्दिष्ट डी1-3 चक्र होगी;

(ii) निम्नलिखित संस्थानों में कोई विनिर्माण अवस्था में पेट्रोल या मिट्टी तेल आधारित जनरेटर सेटों के लिए उत्सर्जन मानक परीक्षण करेंगे और प्रमाणित करेंगे, अर्थात्:-

(क) ओटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे (महाराष्ट्र);

(ख) इंटरनेशनल सेंटर फॉर आटोमोटिव टेक्नोलॉजी, मानेसर (हरियाणा);

(ग) भारतीय तेल निगम, अनुसंधान और विकास केन्द्र, फरीदाबाद, (हरियाणा);

(घ) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून (उत्तराखंड); और

(ङ) यान अनुसंधान विकास संस्थापन, अहमदनगर, (महाराष्ट्र) ।

(iii) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व जारी और 31 मई, 2014 या उसके पश्चात् तक विधिमान्य उत्सर्जन मानकों के संबंध में उत्पादन प्रमाण पत्रों के प्रकार के अनुमोदन और पुष्टिकरण संबंधित प्रमाणन अभिकरणों द्वारा उपर्युक्त पुनरीक्षित संनियमों को विचार में लेते हुए पुनः जारी करेंगे ।

आ. **शोर सीमा**-(i) पेट्रोल और मिट्टी के तेल से चलने वाले नए जनरेटर सेटों के लिए शोर सीमा निम्नलिखित अनुसार होगी:-

	शोर सीमा
ध्वनि शक्ति स्तर L_{wa}	86 dBA

(ii) निम्नलिखित संस्थानों में से कोई पेट्रोल या मिट्टी के तेल जनरेटरों के लिए शोर संनियमों के लिए 'प्रकार अनुमोदन' और उत्पादन की पुष्टिकरण का सत्यापन करेंगे, अर्थात्:-

(क) ओटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे (महाराष्ट्र);

(ख) इंटरनेशनल सेंटर फॉर आटोमोटिव टेक्नोलॉजी, मानेसर (हरियाणा);

(ग) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालघाट (केरल);

(घ) द नेशनल टेस्ट हाउस, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश);

(ङ) द नेशनल ऐरोस्पेस लेबोरेट्री, बैंगलोर, (कर्नाटक) और

(च) द नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेट्री, विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश) ।

इ. साधारण शर्तें

1. **लागू होना**- भारत में विनिर्मित या आयातित पेट्रोल और मिट्टी के तेल का उपयोग करने वाले सभी नए जनरेटर सेटों को प्रविष्टि अ और प्रविष्टि आ में निर्दिष्ट उत्सर्जन और शोध से निर्दिष्ट नियत अनुबंध लागू होंगे:

परंतु यह उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होगा,-

(क) भारत से बाहर निर्यात के प्रयोजनों के लिए विनिर्मित या आयातित जनरेटर सेट के लिए; या

(ख) भारत में अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए और विक्रय के लिए नहीं या नियत उपयोग के लिए आशयित जनरेटर सेट ।

2. **प्रमाणन के लिए अपेक्षाएं**- जनरेटर सेट (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद कहा गया है) के प्रत्येक विनिर्माता या आयात कर्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिर्माता कहा गया है) को उत्सर्जन जिसे साथ साथ शोर के सन्नियम के लिए विनिर्माण या आयात होने वाले सभी उत्पाद माडलों के लिए अनुमोदन के प्रकार के लिए एक पृथक् विधिमान्य प्रमाण पत्र के लिए यह शर्तें लागू होंगी ।

3. **उत्पादन के पुष्टिकरण का सत्यापन**- प्रत्येक विनिर्माता प्रत्येक उत्पादन वर्ष में प्रत्येक पुष्टिकरण, जो लागू हो, के किसी संस्थान द्वारा उत्सर्जन और शोर के लिए उत्पादन की पुष्टिकरण के लिए सत्यापन को अपने उत्पाद भेजेंगे ।

4. **इन शर्तों का अनुपालन न करने वाले जनरेटर सेटों की बिक्री**- उत्पादन की पुष्टिकरण के लिए सत्यापन द्वारा यथा अवधारित उत्सर्जन या शोर संनियम के साथ विधिमान्य प्रकार का अनुमोदन प्रमाण पत्र या अनुपालन नहीं करने वाले उत्पाद माडलों की बिक्री भारत में जारी रखना प्रतिषेध होगा ।

5. **अनुरूपता लेबल की अपेक्षा**- (1) उत्पाद का विनिर्माता उत्पाद पर एक पुष्टिकरण लेबल लगाएगा जिसमें निम्नलिखित अपेक्षाएं होंगी, अर्थात्:-

(i) लेबल टिकाउ और स्पष्ट होगा;

(ii) लेबल उत्पाद के सामान्य प्रचालन के लिए आवश्यक किसी भाग पर और सामान्यतया उत्पाद की अवधि के दौरान उसे बदले जाने की अपेक्षा न होती हो पर लगाया जाएगा ।

(2) पुष्टिकरण लेबल पर निम्नलिखित जानकारी अवश्य अंतर्विष्ट होगी, अर्थात्:-

(i) विनिर्माता का नाम और पता (चाहे, स्वामित्व मैन्यूअल में उसका पता दिया है);

(ii) विवरणी जो यह उत्पाद पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की पुष्टि करता है; और

(iii) प्रकार अनुमोदन प्रमाण पत्र संख्या और अवधि खंड (अर्थात् जनवरी, 2014, जनवरी, 2016 या जनवरी, 2017 से) ।

6. **नोडल अभिकरण**- (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुबंधों के अनुपालन के लिए नोडल अभिकरण होगा ।

(2) इन नियमों के अनुपालन में किसी विवाद या कोई कठिनाई होने की दशा में मामला नोडल अभिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) नोडल अभिकरण, इन नियमों के अनुपालन से संबंधित सभी मुद्दों पर उसकी सलाह को जिसके अंतर्गत कोई विवाद, यदि कोई हो, के संबंध में क्रमशः उत्सर्जन से संबंधित मुद्दों के लिए एक मानक समिति और शोर से संबंधित मुद्दों के लिए राष्ट्रीय समिति गठित करेगा।

7.**अनुपालन और जांच प्रक्रिया**- (1) अनुपालन और जांच प्रक्रिया समय समय पर प्रकाशन अनुसार होगी यदि तत्पश्चात् केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकित की जाती है ।

(2) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुपालन और जांच प्रक्रिया को पुनरीक्षित कर सकेगा ।

(3) उपर्युक्त पैरा क और पैरा ख में निर्दिष्ट संस्थान उत्सर्जन या शोर के संबंध में यथा लागू जांच और सत्यापन के ब्यौरे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रूप से भेजेंगे और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जांच को देखने के लिए अपने पदधारियों को नियुक्त करने को मुक्त होगा";

(ख) क्रम संख्यांक 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. क्यू-15017/07/2012-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 844 (अ) , तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन का.आ. 433 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987, सा.का.नि. 01(अ) , तारीख 1 जनवरी, 2010, सा.का.नि. 61(अ), तारीख 5 फरवरी, 2010, सा.का.नि. 485(अ) तारीख 9 जून, 2010, सा.का.नि. 608(अ), तारीख 21 जुलाई, 2010, सा.का.नि. 739 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2010, सा.का.नि. 809(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2010, सा.का.नि. 215 (अ) तारीख 15 मार्च, 2011, सा.का.नि. 221(अ) , तारीख 18 मार्च, 2011, सा.का.नि. 354 (अ) तारीख 2 मई, 2011, सा.का.नि. 424 (अ) , तारीख 1 जून, 2011 सा.का.नि. 446 (अ), तारीख 13 जून, 2011, सा.का.नि. 152 (अ), तारीख 16 मार्च, 2012, सा.का.नि. 266 (अ) , तारीख 30 मार्च, 2012, सा.का.नि. 277 (अ) , तारीख 31 मार्च, 2012, सा.का.निं. 820 (अ) , तारीख 9 नवंबर, 2012 और सा.का.नि. 820 (अ) , तारीख 18 मार्च, 2013 अधिसूचनाओं द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2013

G.S.R. 535(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Second Amendment) Rules, 2013.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I,-

(a) for serial number 88, relating to "Emission standards for New Generator Sets (Upto 19 kilowatt) Run on Petrol and Kerosene with Implementation Schedule" and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely,-

"88 Generator Sets Run on Petrol and Kerosene

A. Emission Standards- The emission standards for Generator sets on Petrol and Kerosene shall be as follows:-

Class	Displacement (CC)	CO (g/kW-hr)	$HC+NO_x$ (g/kW-hr)
1	Upto 99	≤ 250	≤ 12
2	99 and upto 225	≤ 250	≤10
3	>225	≤ 250	≤8

(i) Test method shall be as specified in SAE J 1088 and the measurement mode shall be D1-3 mode cycle specified under ISO 8178: Part 4 (Weighting Factor of 0.3 for 100 percent load, 0.5 for 75 percent load and 0.2 for 50 percent load);

(ii) Any of the following institutions shall test and certify emission standards for the petrol and kerosene based generator sets, at manufacturing stage, namely: -

(a) The Automotive Research Association of India, Pune (Maharashtra);
(b) The International Centre for Automotive Technology, Manesar (Haryana);
(c) The Indian Oil Corporation, Research and Development Centre, Faridabad (Haryana);
(d) The Indian Institute of Petroleum, Dehradun (Uttarakhand); and

3457 GI/13-2

(e) The Vehicle Research Development Establishment, Ahmednagar (Maharashtra).

(iii). Type Approval or Conformity of Production certificates in respect of emission standards, issued prior to the date of publication of this notification and valid upto the 31st May 2014 or beyond, shall be re-issued considering above revised norms by the respective certification agency.

B. Noise Limits.- (i) The noise limit for new generator sets run with petrol and kerosene shall be as follows:-

	Noise Limits
Sound Power Level L_{wa}	86 dBA

(ii) Any of the following institutions shall undertake 'type approval' and for 'verification of conformity of production' for noise norms for petrol and kerosene gensets, namely :-

(a) The Automotive Research Association of India, Pune (Maharashtra);

(b) The International Centre for Automotive Technology, Manesar (Haryana);

(c) The Fluid Control Research Institute, Palghat (Kerala);

(d) The National Test House, Ghaziabad (Uttar Pradesh);

(e) The National Aerospace Laboratory, Bangalore (Karnataka); and

(f) The Naval Science and Technology Laboratoy, Visakhapatnam (Andhra Pradesh).

IndiaCode

C. General Conditions

1. Applicability.- The stipulations in respect of emissions and noise referred to in entry A and entry B shall apply to all new generator sets using petrol and kerosene as fuel, manufactured in or, imported into India:

Provided that this provision shall not apply to,-

(a) genset manufactured or, imported for the purpose of exports outside India; or,

(b) genset intended for the purpose of Research and Development and not for sale or, captive use in India.

2. Requirement of certification.- Every manufacturer or importer (hereinafter referred to as manufacturer) of genset (hereinafter referred to as product) to which these conditions apply shall have a separate valid certificate of type approval for all the product models for emission as well as noise norms being manufactured or imported.

3. Verification of conformity of production.- Every manufacturer shall submit its products to the verification for conformity of production for emission and noise, by any of the institutions, as applicable, every conformity of production year.

4. Sale of generator sets not complying with these conditions.- The sale of product model, not having valid type approval certificate, or not complying with the emission or noise norms, as determined by the verification for conformity of production, shall continue to be prohibited in India.

5. Requirement of conformance labeling.- (1) The manufacturer of the product shall affix a conformance label on the product containing the following requirements, namely:-

(i) the label shall be durable and legible;

(ii) the label shall be affixed on a part necessary for normal operation of the product and not normally requiring replacement during the product life.

(2) The conformance label must contain the following information, namely:-

(i) name and address of the manufacturer (even, if the address is described in the owners manual);

(ii) statement that this product conforms to the Environment (Protection) Rules, 1986; and

(iii) type approval certificate number and time phase (namely from the January 2014, the January 2016 or the January 2017).

6. Nodal agency.- (1) The Central Pollution Control Board shall be the nodal agency for implementation of these stipulations.

(2) In case of any dispute or difficulty in implementation of these rules the matter shall be referred to the nodal agency.

(3) The nodal agency shall constitute a Standing Committee for emission related issues and a National Committee for noise related issues, respectively to advice it on all matters related to the implementation of these rules including the dispute, if any.

7. Compliance and testing procedure.- (1) The compliance and testing procedure as published from time to time, if reviewed by Central Pollution Control Board shall be followed.

(2) The Central Pollution Control Board may revise the compliance and testing procedure.

(3) The institutes referred to in paragraph A and B above shall submit the testing and certification details in respect of emission or, noise, as applicable to the Central Pollution Control Board, annually and the Central

IndiaCode

Pollution Control Board shall be free to depute its official(s) to oversee the testing";

(b) serial number 91 and entries relating thereto shall be omitted.".

[F. No. Q-15017/07/2012-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 01 (E), dated the 1st January, 2010; G.S.R, 61 (E), dated the 5th February, 2010; G.S.R. 485 (E), dated the 9th June, 2010; G.S.R. 608 (E) ,dated the 21st July, 2010; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, the 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; G.S.R. 277 (E); dated the 31st March, 2012; G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 18th March, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054